झारखण्ड सरकार

परिवहन आयुक्त कार्यालय

एफ़०एफ़०पी० भवन, एच०ई०सी० परिसर, धुर्वा, राँची |

पत्रांक – परि०आ०(प्रति०) – **508/2015**.........148......../ राँची, दिनांक - ...12.02.2021

प्रेषक,

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग,
झारखण्ड, राँची |

सेवा में,

श्री दीपक कुमार गुप्ता,
हाउस नंबर – 1416 गढ़वा,
जिला – गढ़वा 822114

विषय : - परमिट संख्या P.St.S. 48/2015 के प्रत्यर्पण के सन्दर्भ में परमिट से आवृत्त वाहन संख्या JH-03L-9271 की स्थिति स्पष्ट करने के सम्बन्ध में |

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में कहना है कि आपके द्वारा परमिट संख्या P.St.S. 48/2015 के प्रत्यर्पण हेतु दिए गए आवेदन पर कार्रवाई के दौरान पाया गया कि आपके द्वारा छत्तीसगढ़ प्राधिकार से उक्त परमिट का प्रतिहस्ताक्षर नहीं कराये जाने एवं छत्तीसगढ़ राज्य का कर भुगतान भी नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है |

अतः उपरोक्त के क्रम में निदेश दिया जाता है कि दि०-27.06.2020 के बाद परमिट से आवृत्त वाहन संख्या JH-03L-9271 की भौतिक स्थिति एवं वाहन चलायमान है अथवा नहीं इसके सम्बन्ध में प्रमाण सहित विवरणी कार्यालय को अविलम्ब समर्पित करना सुनिश्चित किया जाए ताकि परमिट प्रत्यर्पण सम्बन्धी अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई की जा सके |

विश्वासभाजन

संयुक्त परिवहन आयुक्त
झारखण्ड, राँची |